न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 49/09 निर्णय दिनांक 9-5-2022
(जीसीएमएस संख्या 2009/00001)

1. बाबूलाल पुत्र स्व.रधुनाथ जाति माली निवासी इन्द्रा कालोनी बीकानेर
1/1 गोमती
1/2.ओमप्रकाश
1/3. भगवानाराम | पत्नी/पुत्र/पुत्रियां बाबूलाल जाति माली
1/4. हड़मान
1/5. मगनी
2. करणीराम पुत्र स्व.रुधनाम जाति माली निवासी इन्द्रा कालोनी बीकानेर

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. प्रेमलता | पुत्री स्व.मोहनलाल पुत्र स्व.रुधनाथ
2. कमलेश
3. पवन
4. मूलचंद | पि. स्व.जीतमल पुत्र स्व.रुधनाथ
5. धनराज
6. श्याम | पि.स्व.हरिराम पुत्र स्व.रुधनाथ जाति माली निवासी इन्द्रा कालोनी
7. बजरंग | बीकानेर
8. गणेश
9. विमला पुत्री रूधनाथ
10.शारदा पुत्री रूधनाथ
11. राजस्थान स्टेट जरिये पैरोकारराज

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर
दिनांक 29.6.2009

उपस्थितः
1.श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट् संख्या 1/1 ता 1/5
2.श्री प्रेम प्रकाश मदाऩ, अभिभाषक अपीलांट् संख्या 2
3.श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 4, 7
4.श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5 व 8, 9 व 10
5. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर के निर्णय दिनांक 29.6.2009 जिसके द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स के हित समान होने के कारण उन्होनें अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट्स/वादीगण ने एक वाद धारा 88,188 आरटीए व 125, 136 एलआरए के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि वादीगण के पिता रधुनाथ की कृषि भूमि खसरा नम्बर 24 तादादी 103 बीधा 3 बिस्वा वाके रोही शरह कुंजिया तहसील बीकानेर कब्जा काश्त में चली आ रही है। जिसके वर्तमान में नये नम्बर चक 496–150 आरडीएल के खसरा नम्बर 155/1 व 152/2 तादादी 103 बीधा 3 बिस्वा कायम हुए है। यह भूमि वादीगण के पिता की रही है और वादीगण के पिता व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 8 के दादा इस भूमि को जब तक जीवित रहे काश्त करते रहे थे, जमाबंदी व गिरदावरी में भी उनका नाम दर्ज है। लेकिन स्टेट ने खातेदार काश्तकार के रुप में रेकार्ड में अंकन नहीं किया। इस कारण दावा पेश किया। जिस पर रेस्पोडेन्ट नं. 9 को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 9 ने जबावदावा पेश नहीं किया और जबावदेही बंद की गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को दावा आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के तहत डिक्री किया जाना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के दावा खारिज कर दिया।

उन्होंने आगे बताया कि विवादित भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 8 के दादा रधुनाथ की जायदाद रही है तथा वे सम्वत 2000 से काश्तकार रहे है। कानूनन सम्वत 2012 से यदि कोई व्यक्ति काश्तकार है तो उसे खातेदार काश्त के रुप में रेकार्ड में अंकित किया जाना चाहिए। लेकिन स्टेट ने ऐसा नहीं किया। अदालत मातहत ने भी अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से पेज 5 पर अंकित किया है कि सम्वत 2012 से 2026 की प्रतियां पेश की हुई है तथा सम्वत 2017 से 2025 तक की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जमाबंदी पेश की हुई है। इसके अलावा पानी की पर्चियां अपीलांट्स के नाम से चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय में स्टेट की ओर से जबावदावा के लिए काफी अवसर दिये गये किन्तु जबावदावा पेश नहीं किया गया। जिसके फलस्वरुप जबावदावा बंद किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के तहत दावा डिक्री योग्य था। इसके विपरीत अदालत मातहत ने दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया है जबकि अपीलांट्स के दावे के खण्डन में कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं हुए है तो साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं थी। अदालत मातहत के समक्ष वादी हरीराम का स्वर्गवास हो चुका था इसकी दरख्वास्त पेश हुई थी। उसके वारिसान को रेकार्ड पर दिनांक 29.6.09 को ही लिया गया है और उसी दिन ही निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि मृतक हरीराम के वारिसों को वाद की कार्यवाही में भाग लेने देना चाहिए था। एक तरफ तो अदालत मातहत ने यह अंकित किया है कि शहादत दिनांक 2.9.08 को बंद कर दी गयी है जबकि दूसरी ओर पेज नं. 1 पैरा सं. 1 में अकित किया है कि हरीराम के वारिसान को रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही चल रही थी। ऐसी स्थिति में पत्रावली साक्ष्य में दिनांक 2.9.08 को बंद कैसे की जा सकती है। लेकिन ऐसा ना कर अदालत मातहत ने दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज करने में कानूनी भूल की है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट्स सम्वत 2000 से विवादित भूमि पर काबिज काश्त रहे है। इसलिए बाई आपरेशन ऑफ लॉ अपीलांट्स खातेदार हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये साक्ष्य के अभाव में दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय की डिक्री कायम नहीं की है। इसलिए नकल प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए निर्णय के अन्तिम पैरा को डिक्री समझा जावे। अतः अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.6.09 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स का दावा डिक्री किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स ने अपने वाद के साथ सम्वत 2012 मे अपने पिता के नाम का कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया है। इसलिए दावा धारा 88 आरटीए के तहत चलने योग्य नहीं है। अपीलांट्स ने अपने दावा के साथ जो राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किये है उन्हें प्रदर्श नहीं कराया है। अपीलांट्स का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपने दादा के समय से निरन्तर कब्जा काश्त साबित नहीं है। इसके अलावा सूची नम्बर 4 पेश नहीं की है। जिसके कारण नये मुरब्बा नम्बर व किलों में कितनी भूमि पैमूद हुई है ज्ञात नहीं होता। अपीलांट्स ने अपने दावे को साक्ष्य से साबित नहीं किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज किया है जो न्यायोचित है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 व भू राजस्व अधिनियम की धारा 125, 136 के तहत दावा पेश किया। अपीलांट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स ने अपने दावे को साबित करने के लिए जमाबंदी सम्वत 2021—24, 2026—29 जिसके काश्तकार के कॉलम में रधुनाथ वल्द रामकिशन दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2011—14, 2015—18 में रधुनाथ वल्द रामकिशन का नाम विशेष कॉलम में अंकित है तथा उसका कब्जा अंकित किया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2018—19 में काश्तकार के कॉलम में रधुनाथ वल्द रामकिशन काश्तकार सम्वत 2015 दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2020—23,2025—28 मे काश्तकार के कॉलम में रधुनाथ वल्द रामकिशन काश्तकार दर्ज है। इसके अलावा अपीलांट को सन् 1999 में धारा 22 के नोटिस जारी किये गये है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में स्टेट को जबाव के लिए काफी समय प्रदान किया गया किन्तु उनके द्वारा जबावदावा पेश नहीं किया गया ना ही कोई साक्ष्य पेश की है। जब अपीलांट्स के दावे का खण्डन नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का दावा साबित होने से आदेश 8 नियम 10 सीपीसी के तहत डिक्री किया जाना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा साक्ष्य के अभाव में खारिज करने में कानूनी भूल की है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादी को सहादत पेश करने हेतु दिनांक 13—04—2005 से निरन्तर 21 पेशियो पर सहादत पेश करने का अवसर प्रदान किये जाने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बावजूद भी वादी द्वारा सहादत पेश नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक 02–09–2008 को वादी की शहादत को बन्द किया गया। इस प्रकार अपीलांट्स/वादी का यह कथन कि शहादत पेश करने हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया स्वीकार योग्य कथन नहीं है। इसी प्रकार अपीलांट्स/वादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि साबिका खसरा नम्बर 24 तादादी 103 बीघा 03 बिस्वा भूमि चकबन्दी आने पर चक 496–150 आरडी के मुरब्बा नम्बर 155/1 में परिवर्तित हुए है, परन्तु इस संबंध में सूची नम्बर 4 व मिलान क्षेत्रफल न तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे चकबंदी के बाद बने मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर साबित नहीं होते है ना ही अपीलांट ने अपने दावे के समर्थन में एक भी राजस्व दस्तावेज पेश नही किया। मात्र मौखिक कथन/छाया प्रति दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार धोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट/वादी अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथमदृष्टया ही साबित करने में असफल रहा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने दावा साक्ष्य/रिकार्ड के अभाव में खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ऐसीस्थिति में अपीलाधीन आदेश में अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर का निर्णय दिनांक 29–06–2009 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 9/5/22 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/5/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

बाबूलाल(मृतक) बनाम प्रेमलता
(अपील संख्या 49/09)

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
मुवर्खे 29–06–2009

यह अपील ब–तारीख 09–05–2022 रूबरू हमारी ब हाजरी श्री जयचन्द सारस्वत, श्री प्रेम प्रकाश मदान अभिभाषक अपीलांट्स व श्री दिनेश गहलोत, हरीश चन्द्र व्यास अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स व राजकीय अभिभाषक पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–06–2009 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख माह सन् 2022 को जारी किया गया।

9/5/22

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		